दिव्यांगजनों के लिये आवागमन की सुगमता

प्रलिम्स के लिये:

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, सुगम्य भारत अभियान

मेन्स के लिये:

दिव्यांगजनों के लिये समावेशिता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने का महत्त्व, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने **सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों (PwD) के लिये आवागमन में सुधार** करने हेतु कदम उठाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बावजूद दिव्यांगजनों से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिसके कारण CPWD ने भवनों में आवागमन की सुगमता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वन किया।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 क्या है?

- **परिचय:**
  - RPwD अधिनियम, 2016, दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करता है जिसका अनुमोदन भारत द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था।
    - इस अधिनियम ने **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** को प्रतिस्थापित किया।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में **निःशक्त अथवा दिव्यांगजन की संख्या** लगभग 26.8 मिलियन थी जो **भारत की कुल जनसंख्या का 2.21%** है।
  - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 2.2% है।
    - NSSO के 76वें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में **प्रति 1,00,000 लोगों में से 86 व्यक्ति दिव्यांग** थे।
- **दिव्यांगता की विस्तारित परिभाषा:**
  - इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकासशील और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
  - RPwD अधिनियम, 2016 में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये गए जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगता के और अधिक प्रकार शामिल किये जाने का प्रावधान है।
- **अधिकार और हकदारी:**
  - अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकारों को **दिव्यांगजनों के लिये समान अधिकार** सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - अधिनियम के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों (चालीस प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति) और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लिये **उच्च शिक्षा में आरक्षण** (न्यूनतम 5%), **सरकारी नौकरियों** (न्यूनतम 4%) और भूमि का आवंटन (न्यूनतम 5%) जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाते हैं।
  - 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिये **निशुल्क शिक्षा की गारंटी** का प्रावधान किया गया है।
    - सरकार द्वारा वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
  - इस अधिनियम में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी तथा समावेशन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
- **सार्वजनिक भवनों के संबंध में आदेश:**
  - **दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017** का नियम 15 केंद्र सरकार को दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने हेतु **सार्वजनिक भवनों के लिये दिशा-निर्देश और मानक स्थापित करने का आदेश** देता है।
    - इन मानकों में दिव्यांग जनों के लिये मानक निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है।

        - सार्वजनकि भवनों सहति प्रत्येक प्रतष्ठिान को वर्ष 2016 के सामंजस्यपूर्ण दशिा-नर्दिशों के आधार पर इन मानकों का पालन करना होगा।
    - **नयिम 15 में हाल के संशोधनों** के अनुसार प्रतष्ठिानों को **वर्ष 2021 के सामंजस्यपूर्ण दशिा-नर्दिशों** का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जसिसे दवि्यांग जनों के लयि सुगमता सुनश्चिति हो सके।
        - व्यापक दशिा-नर्दिशों में दवि्यांग जनों के लयि रैंप, ग्रैब रेल, लफि्ट और शौचालय जैसी वभिन्नि सुगमता सुवधिाओं वाली योजना, नवदिा एवं वशिष्टिताओं को शामलि कयिा गया है।
        - दवि्यांग जनों के लयि समान पहुँच सुनश्चिति करने हेतु सभी भवन योजनाओं को इन दशिा-नर्दिशों के अनुरूप होना चाहयि।
    - मौजूदा इमारतों को अभगिम मानकों को पूरा करने, दवि्यांग जनों के लयि बेहतर**समावेशतिा को बढ़ावा देने की दशिा में पाँच वर्ष के भीतर रेट्रोफटिगि से गुज़रना अनवार्य** है।

नोट:

- **RPWD** अधनियिम, 2016 में 21 अक्षमताओं में अंधापन, दृष्टि-बाधति, [कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति], श्रवण वकिार/दोष (बहरा और सुनने में कठनिाई), चलन-संबंधी वकिलांगता, बौनापन, **बौद्धकि अक्षमता**, मानसकि बीमारी, ऑटज्मि स्पेक्ट्रम वकिार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्यूलर डस्ट्रिॉफी, क्रोनकि न्यूरोलॉजकिल स्थतियिाँ, **स्पेसफिकि लर्नगि डसिबलिटिी (डस्लिेक्सयिा)**, मल्टीपल स्क्लेरॉससि, वाक् एवं भाषा वकिलांगता, थैलेसीमयिा, हीमोफीलयिा, [सकिल सेल रोग], बहु-वकिलांगता, [तेज़ाब हमले से प्रभावति] और [पारकनि्संस रोग] शामलि हैं।

दवि्यांगों के सशक्तीकरण से संबंधति अन्य पहल क्या हैं?

- [**अद्वतीय अक्षमता पहचान पोर्टल**]
- [**दीन दयाल दवि्यांग पुनर्वास योजना**]
- [**दवि्यांग जनों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फटिगि हेतु सहायता**]
- [**दवि्यांग छात्रों के लयि राष्ट्रीय फैलोशपि**]
- [दवि्य कला मेला 2023]
- [सुगम्य भारत अभयिान]

सार्वजनकि भवनों में पहुँच के संबंध में क्या चतिाएँ हैं?

- PwD और कार्यकर्त्ताओं की रपिोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में स्थापति **दशिा-नर्दिशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कयिा गया** है। इसके अलावा, वर्ष 2021 के नए दशिा-नर्दिशों को राज्य सरकारों से इसी तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
    - वशि्लेषकों का कहना है कि किसी भी **राज्य ने अभी तक अपने भवन उपनयिमों में सामंजस्यपूर्ण दशिा-नर्दिशों को शामलि नहीं कयिा है,** जो पहुँच के मुद्दों को संबोधति करने में व्यापक वफिलता का संकेत देता है।
- वशिषज्ञ पहुँच संबंधी **दशिा-नर्दिशों को लागू करने के लयि ज़म्मिेदार सार्वजनकि नर्माण वभिागों** के इंजीनयिरों के बीच जागरूकता और जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डालते हैं।
- रेट्रोफटिगि परयिोजनाओं के लयि फंड उपलब्ध हैं, लेकनि कई **राज्यों और शहरों ने उनके लयि आवेदन** जमा नहीं कयि हैं, जो पहुँच पहल को प्राथमकिता देने में वफिलता का संकेत देता है।
- केंद्रीय लोक नर्माण वभिाग के ज्ञापन में स्पष्टता का अभाव है **और इससे अनावश्यक संसाधन की बर्बादी हो सकती है** , जसिसे पहुँच उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

केंद्रीय लोक नर्माण वभिाग (CPWD)

- CPWD की स्थापना मूल रूप से जुलाई 1854 में अजमेर प्रोवजिनल डवीज़िन के रूप में की गई थी।इसका प्राथमकि उद्देश्य **वास्तुकला, इंजीनयिरगि, परयिोजना प्रबंधन और भवन नर्माण तथा रखरखाव** जैसे वषियों को शामलि करते हुए सार्वजनकि कार्यों को नष्पिादति करना था।
- वर्तमान में, CPWD शहरी वकिास मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी राष्ट्रव्यापी उपस्थतिि है।
- CPWD केंद्र सरकार के प्रमुख इंजीनयिरगि ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जसिमें तीन प्रभाग, भवन और सड़क (Buildings and Roads-B&R), इलेक्ट्रकिल तथा मैकेनकिल (Electrical and Mechanical- E&M) एवं बागवानी शामलि हैं।
- वर्ष 2016 में CPWD ने 100 करोड़ रुपए के बजट से अधकि की सभी परयिोजनाओं के लयि आधुनकि धूल-मुक्त नर्माण वधियिों, वशिेष रूप से मोनोलथिकि प्रणाली को अपनाया।
    - **मोनोलथिकि प्रणाली** में **बीम और स्लैब के लयि कंक्रीट का उपयोग करना** शामलि है, जसिसे एक एकीकृत नर्माण घटक बनता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत लाखों दिव्यांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिये भूमि का अधिमान्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/enhancing-accessibility-for-persons-with-disabilities